बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को०–03/2018– 2905 /कृ0, पटना, दिनांक 01-08- 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों के लिए 493.47 लाख (चार करोड़ तिरानबे लाख सैंतालिस हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों के लिए 493.47 लाख (चार करोड़ तिरानबे लाख सैंतालिस हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर से प्राप्त प्रस्ताव को निम्न विवरण के अनुरूप स्वीकृत किया जाता है, राशि (लाख रू० में)

क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	सूचना तकनीक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग)	200.00
2.	"कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार" कार्यक्रम	104.00
3.	कृषि विज्ञान केन्द्रों में समेकित कृषि प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	189.47
	कुल	**493.47**

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्वीकृत राशि से इन्टरनेट लीज लाईन चार्जेज एवं अन्य व्यय किया जायेगा। कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार कार्यक्रम के मद में स्वीकृत राशि से 1040 कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा प्रत्येक कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार कार्यक्रम के आयोजन में व्यय की अधिसीमा दस हजार रूपये होगी। समेकित कृषि प्रणाली से संबंधित विवरणी अनुसूची– 1 संलग्न है।

3. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा सूचना तकनीक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि वैज्ञानिक किसानों के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को कृषि के नवीनतम तकनीकों के साथ विभाग की योजनाओं की जानकारी ससमय प्रदान किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों में समेकित कृषि प्रणाली का प्रदर्शन एवं तकनीकी विस्तार के उद्देश्य से

सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।।

4. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा,

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01– फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415012770108, विषय शीर्ष–0108.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	2158.00	409.58
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017890103, विषय शीर्ष–0103.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	416.00	78.96
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म,लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष– 0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017960104, विषय शीर्ष–0104. 31.06, सहायक अनुदान– गैर वेतन।	26.00	4.93
कुल	**2600.00**	**493.47**

5. स्वीकृत राशि 493.47 लाख (चार करोड़ तिरानबे लाख सैंतालिस हजार) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक 16.07.2018 को संचिका संख्या– 4/कृ०शि०को०– 03/2018 के पृ0सं0– 11/टि० पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०– 03/2018 के पृ0सं0–13/टि० पर दिनांक– 27.07.18. को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra
31.7.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–03/2018– 2905 /कृ0, पटना, दिनांक 01-08- 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
31.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–03/2018– 2905 /कृ0, पटना, दिनांक 01-08- 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
31.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–03/2018– 2905 /कृ0, पटना, दिनांक 01-08-2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
31.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4/कृ०शि०को०.–03/2018– 2905 /कृ0, पटना, दिनांक 01-08-2018

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

Rabindra
31.7.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

(21)

निदेशालय, कार्य एवं संयंत्र
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

पत्रांक सं॰ 2002 /नि॰ का॰ एवं सं॰/बि॰ ए॰ यू॰, सबौर दिनांक 22/03/2018

प्रेषक:– निदेशक, कार्य एवं संयंत्र
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर।

सेवा में,

अनिल कुमार झा,
उपनिदेशक (शष्य)–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
कृषि शिक्षा, कोषांग, पटना।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अन्तर्गत 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों में समेकित कृषि प्रणाली के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अन्तर्गत 20 कृषि विज्ञान केन्द्र है। सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में समेकित कृषि प्रणालि के आधार पर निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव है। 20 कृषि विज्ञान केन्द्रो में समेकित कृषि प्रणालि को लागू करने का अनुमानित लागत कुल 189.47 लाख रुपये है, जिसका विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कुल रो॰ 189.47 लाख रुपये स्वीकृत करने की कृपा कि जाय।

अनु॰–यथा वर्णित।

निदेशक, कार्य एवं संयंत्र
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर।

PROJECT PROPOSAL ON INTEGRATED FARMING SYSTEM (IFS)

I. INTRODUCTION

The farming system concept takes into account the components of soil, water, crops, livestock, labour, capital, energy and other resources, with the farm family at the center managing agricultural and related activities. The farm family functions within the limitations of its capacity and resources, the socio-cultural settings, and interaction of these components with physical, biological and economic factors.

Integrated Farming System is an approach to agricultural research and development that view the whole farm as a system and focus on 1) the interdependencies between the components under the control of members of the households and 2) how these components interact with each other in respect of physical, biological and socioeconomic factors not under the household's control. Indian economy is predominantly rural and agriculture oriented where the marginal and small farmers constitute about 86% of farming community. Due to uncertainty of monsoon, the farmers are forced to judicious mix up of agricultural enterprises like dairy, poultry, fishery, sericulture, apiculture etc., suited to their agroclimatic and socio-economic condition.

Integrated farming system is an integration of appropriate viable technologies within the enterprise and / or integration of one or more enterprises with prevailing ones at a farm according to the availability of resources and farmer's choice to satisfy the necessities of a household as many as possible for livelihood security of a family and simultaneously leads to better utilization of resources, increased productivity per unit area, efficient recycling of Farm wastes, generate more employment, reduce the risk and ensure environmental safety and sustainability.

Integrated Farming System enhances productivity/unit area through the concentrated approach and vertical expended farming system.

Day by day the land holding size of the small and marginal farmer is decreasing and our population is increasing, in the year 2000 our population was 100 crores, available cultivable land was 143.8 M.ha. and the food needed was 210 M.T where as in 2030 our population will be 137 crores, the available cultivable land will be 141.3 M.ha. and the food needed will be